न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—359 / 2023 / 225 आर.टी.एक्ट (2023 / 359)

1. सीमा धोबी पत्नी राजेश धोबी, जाति धोबी, निवासी राजनगर, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर। जरिए मुख्तयारआम श्री नारायण गुर्जर पुत्र दूदाराम गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी तेली मौहल्ला, सूतीखेडा, तहसील मसूदा हाल तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।

अपीलांट

बनाम

1. पुखराज पुत्र लादू
2. रामूदेवी पुत्री लादू
3. लाली पुत्री लादू
4. सुगनी पत्नी लादू
5. सांवरिया दत्तक पुत्र भैरू
   समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम देवगढ उर्फ सूतीखेडा, तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।
6. सत्यनारायण, पुत्र सुखदेव जाति बैरवा निवासी देवलियाकला, तहसील भिनाय जिला अजमेर।
7. हीरी पत्नी हीरालाल
8. कन्हैयालाल पुत्र रामा
9. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 मिश्री
10. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 मिश्री
11. कान्ता पुत्री स्व0 मिश्री
12. श्रीमती कंकूदेवी पत्नि स्व0 मिश्री
13. प्रेमदेवी पुत्री स्व0 छोटू
14. समता उर्फ सम्पत्ति देवी पुत्री स्व0 छोटू
    समस्त जाति नायक, निवासीगण जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसील बिजयनगर, जिला ब्यावर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा(ब्यावर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2023 राजस्व वाद संख्या 76 / 2023

उपस्थितः—

1. श्री वैभव कृष्ण पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसनखान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 15
4. रेस्पोडेंट संख्या 6 से 14 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 14.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76 / 2023 में

पारित आदेश दिनांक 08.12.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.12.2023 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 6 से 14 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर एवं बिना किसी कारण के रेस्पोडेण्ट सं० 1 ल० 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करके भारी कानूनी मूल की है। जबकि रेस्पोडेण्ट सं० 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ व्यायालय न विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किये एवं ना ही कोई नोटिस अपीलांट को तामील हुये थे। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा में विवादित निर्णय पारित किया है। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्ट सं० 1 ल0 5 ने अपीलांट की खातेदारी भूमि में से कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया गया है। बल्कि यह अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिसमें अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। यदि अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट के खेत के दो टुकडे हो जाते है और अपीलांट का खेत काबिल काश्त नहीं रहेगा। इसलिये अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से कोई रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है और ना ही वर्तमान में है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करक भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को मौका रिपोर्ट बाबत आदेश प्रदान किया गया था। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई एवं मौका रिपोर्ट बाबत अपीलांट को कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया और ना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उक्त

मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। जिस पर अपीलांट क हस्ताक्षर भी नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट साबित होता है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस ही जारी नहीं किये गये और नोटिस जारी किये जाने बाबत आदेशिका पर भी कोई आदेश अंकित नहीं है। जिससे यह पूर्णतया साबित होता है कि अपीलांट को कोई नोटिस ही जारी नही हुआ और ना ही कोई नोटिस अपीलांट को तामील हुआ। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० सं० 1 ल० 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज कर व विपक्षीगण को नोटिस जारी करके आगामी पेशी दिनांक 12.10. 2023 की प्रदान की गई और पेशी दिनाक 08.12.2023 को बिना किसी आधार के एवं बिना किसी कारण के अपीलांट के नोटिस को तामील मानते हुये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने एवं उसी दिन दिनांक 08.12.2023 को एक तरफा में रेस्पो० सं० 1 ल० 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का विवादित निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह विवेचन नहीं किया है कि अपीलांट को नोटिस किस तरह से तामील हुये है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तामील की विधिक प्रक्रिया अपनाये विवादित निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय न विवादित्त निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय आदेशिका दिनांक 12.10.2023 में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के रजि० एडी नोटिस तामील होकर प्राप्त, परन्तु हाजिर नहीं। जो कि पूर्णतया गलत एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को रजि०एडी नोटिस जारी किये जाने का आदेश ही प्रदान नही किया है और ना ही विपक्षीगण को रजि०एडी नोटिस जारी होने का आदेश आदेशिका पर है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० स० 1 ल0 5 ने अधीनस्थ न्यायालय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्ताकारी अधिनिमय 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी खाता नं0 104, ख0नं0 223 रकबा 0.2669 है० व खाता न० 105 ख0नं0 330/214 रकबा 0.2305 है० वाकै ग्राम देवगढ उर्फ सूतीखेडा तहसील बिजयनगर में स्थित खसरे बाबत रास्ता चाहा एवं रेस्पो० सं० 1 ल० 5 द्वारा दूसरे ग्राम सरहद पार अपीलांट एवं रेस्पो० सं० 6 ल० 14 की कृषि भूमि ख०नं० 580/20 एवं 579/20, 578/20 वाक ग्राम बडा आसन तहसील बिजयनगर में स्थित है। इस प्रकार रेस्पो० सं० 1 ल० 5 ने अपने ग्राम की आराजी को छोडकर दूसरे गाम की आराजी से रास्ता मांगा है। जबकि रेस्पो० सं० 1 ल० 5 को अपने ग्राम की आराजी से ही रास्ता मांगना चाहिये था और दो अलग अलग खाते की अलग अलग आराजी जो कि दोनों आराजी दूर

दूर स्थित है। उक्त दोनों आराजी में जाने हेतु अलग अलग रास्ता एक ही प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांगा गया है। जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रदान नहीं किया जा सकता है। दोनों अलग अलग आराजी के लिये दो अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने चाहिये। रेस्पो० सं० 1 ल0 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किया था और दिनांक 14.09 2023 को अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ के पीछे उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज किये जाने एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2023 को ही दर्ज करने व विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने की आदेशिका अंकित है। जो कि अपने आप में ही सन्देहास्पद है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी नियम 69 के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा भी अपूर्ण एवं गलत खसरा नंम्बर अंकित करते हुये प्रस्तुत किया गया है। जो कि पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि रेस्पो० सं० 1 ल० 5 की आराजी ख0नं0 330/214 में आने जाने हेतु जालिया के बांध की नहर जिसक ख0नं0 189 में से मौके पर रास्ता पूर्व से बना हुआ है। जिससे यह स्पष्ट रूप से यह साबित हो जाता है कि रेस्पो० सं० 1 ल० 5 की आराजी में आने जाने के लिये पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में रेस्पो० सं० 1 ल० 5 की आराजी में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने मानते हुये विवादित निर्णय पारित किया है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.12. 2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि मौजा देवगढ उर्फ सूतीखेड पटवार हल्का बाडी तहसील बिजयनगर में खसरा नंबर 223 रकबा 0.2669 हैक्टयर एंव 330/214 रकबा 0.2305 हैक्टयर भूमिया के खातेदार प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड के अनुसार दर्ज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त भूमियों राजस्व ग्राम बडा आसन की सरहद के लगते हुये स्थित है। प्रार्थीगण की दोनों भूमियों तक मुख्य मार्ग से आने जाने हेतू एक रास्ता सरहद पर अप्रार्थीगण की निकट राजस्व ग्राम बडा आसन की भूमि खसरा नंबर 580/20, 579/20, 578/20 एंव सरकारी भूमि खसरा नंबर 703/31 पर से होकर जाया जाता है। उपरोक्त भूमियां अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण उनके पूर्वजों के समय से ही उक्त भूमियों में से

होकर आवागमन रहा है। उक्त खसरान में से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमियों तक आने जाने का नहीं है तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमियों में रास्ता दिया जावे जिस हेतू प्रार्थीगण डी०एल०सी० राशि भी जमा करवाने के लिये तैयार है। प्रार्थीगण द्वारा अंतिम बार दिनांक 25.8.2023 को तहसीलदार बिजयनगर से राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने हेतू निवेदन किया किन्तु न्यायालय आदेश के अभाव में कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियो में आने जाने हेतू खसरा नंबर 580/20, 579/20, 578/20 एंव सरकारी भूमि खसरा नंबर 703/31 में से रास्ता दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 08.12.2023 को निर्णय पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 223 रकबा 0.2669है0 व खसरा नम्बर 330/214 रकबा 0.2305 ग्राम देवगढ उर्फ सूतीखेडा में आवागमन हेतु ग्राम बडा आसन के खसरा नम्बर 580/20, 579/20 व 578/20 एवं सरकारी भूमि खसरा संख्या 703/31 में से रास्ता उपलब्ध करवाए जाने तथा इन खसरा नम्बरान में रास्ते की तरमीम दर्ज की जाकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट के पक्ष में रास्ते की अमल दरामद करावाए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 14.08.2023 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस जारी किए जाने बाबत अपनी आदेशिका में उल्लेख किया गया। दिनांक 12.10.2023 को अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी तामील होकर प्राप्त परंतु हाजिर नहीं। दिनांक 08.12.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र तीन पेशियों में ही संपूर्ण प्रकरण का निस्तारण अंतिम रूप से किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साधारण नोटिसों पर किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उक्त नोटिसों पर तहसीलदार कार्यालय की सील अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस तामील है अथवा अदम तामील इस बाबत भी नोटिसों पर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम तामीली जरिए साधारण नोटिस की जाती है, इसके उपरांत क्रमशः जरिए रजिस्टर्ड

एडी व अखबार साया तामीली किए जाने के प्रावधान है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि साधारण नोटिस किन–किन पक्षकारों को तामील हुए अथवा नहीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मात्र दूसरी पेशी पर ही अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी से तामील मानकर प्रकरण में विधि विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस रजिस्टर्ड एडी से कब व किस दिनांक को जारी किए गए। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस तामील की विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना अप्रार्थीगण/अपीलांट की प्रोपर तामील करवाए ही न्याय सिद्धांतों के विपरीत जाकर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 08.12.2023 को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 330/214 पर आने जाने हेतु जालिया द्वितीय बांध की नहर जिसके खसरा नम्बर 189 में से मौके पर रास्ता बना हुआ है तथा इसी रास्ते से मौके पर आवागमन होता है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 223 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ता खसरा नम्बर 765/580 व 579/20 में से 15 फिट रास्ता दिए जाने बाबत अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया तथा जिस भूमि से रास्ता प्रस्तावित है वह ग्राम बडाआसन में स्थित है जो ब्यावर–बिजयनगर रोड से लगती 300 मीटर की परिधि क्षेत्र में स्थित है।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट तैयार किए जाने से पूर्व अप्रार्थीगण/अपीलांट को किसी भी प्रकार का नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार किए जाने के आदेश तहसीलदार को कब दिए गए व मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को किस दिनांक को प्राप्त हुई इस बाबत भी आधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्ण रूप से एक पक्ष को वांछित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा खसरा नम्बर 223 व खसरा नम्बर 330/214 में से रास्ता चाहा गया, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 330/214 में से आने जाने हेतु खसरा नम्बर 189 में से मौके पर रास्ता बताया गया। जो कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट के ही ग्राम में स्थित है। परंतु प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अपनी आराजीयात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 580/20, 579/20, 578/20 जो वाकै ग्राम बडा आसन तहसील बिजयनगर में स्थित है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अपने ग्राम की आराजीयात को छोडकर दूसरे ग्राम की आराजीयात से रास्ते की मांग की गई है।

वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि दो अलग अलग खातों की अलग–अलग आराजीयात है तथा दोनों आराजीयात एक दूसरे से दूरी पर स्थित है। जो नजरी नक्शे से भी स्पष्ट है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा दो अलग अलग आराजीयात में जाने हेतु रास्ता एक ही प्रार्थना पत्र में मांगा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में जब यह तथ्य स्पष्ट थे कि खसरा नम्बर 330/214 में से आने जाने हेतु खसरा नम्बर 189 में से मौके पर रास्ता उपलब्ध है तो अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा किस आधार पर खसरा नम्बर 223 में रास्ते बाबत खसरा नम्बर 765/580 व खसरा नम्बर 579/20 जो कि दूसरे ग्राम बडा आसन में स्थित खातेदारी आराजीयात है उनमें किस आधार पर रास्ता दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया गया। जबकि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 330/214 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध था तो अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 223 में उसी ग्राम के सडक से लगते हुए अन्य खसरा नम्बरों का मौका निरीक्षण करवाए जाने के पश्चात प्रार्थी/रेस्पोडेंट को नजदीकी रास्ता प्रदान करवाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व नजरी नक्शे का बिना गहन अवलोकन किए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 76/2023 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित उभयपक्षकारान की उपस्थिति में खसरा नम्बर 223 में आवागमन हेतु नजदीकी खसरों की मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए विधिवत परीक्षण कर पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर